

FROM No.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

ज अदालत..... सहायक कलेक्टर (SDO)

बायतु

मुकाम.....

अच्युतराम

बनाम.....

जोगाराम वगैरा

किस्म मुकदमा..... 310/2020 111/28 RLR नं. 259/2020 सन्. 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/09/2020	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>राजेश कुमार शर्मा</u> ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111/28 RLR Act</u> राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन्न तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>14/10/2020</u> को पेश हो।</p>	
14/10/2020	<p><u>प्रार्थी वकील उपरिपत्र/विप्रार्थी</u> गणों के नोटिस तामिल हुक्म तामिल हुक्म/सामान पीढातीन दिशि 81वीं दिनांक 81वीं के पत्रावली होने के सिवाए इल्लवा होकर सामान दिनांक <u>03/11/2020</u> को पेश हो।</p>	
03/11/2020	<p><u>प्रार्थी वकील उपरिपत्र/विप्रार्थी</u> के नोटिस तामिल हुक्म प्राप्त जिले तामिल पत्रावली विषय उपरि/विप्रार्थी/गण वावजुस तामिल अनुउपरिपत्र/सामान पीढातीन दिशि 81वीं दिनांक 81वीं के पत्रावली होने के सिवाए इल्लवा होकर सामान दिनांक <u>24/02/2021</u> को पेश हो।</p>	

24/02/2021

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपरीत।
पीपल पीपल अधिकारी का पत्र रिक्त है
ले मिशाल इलवा डीडर सिगापी दिनांक 26/03/21
डो पैरा टी/१

26/03/2021

एकपक्षी पेशा हाई जजु हाय परिकेन उपस्थित
पीपल पीपल अधिकारी का पत्र रिक्त है
अतः पत्रा कर्ता उक्तका हाकर दिनांक 21/06/21
डो पैरा टी/१

21/06/21

एकपक्षी पेशा हाई जजु हाय परिकेन उपस्थित
पीपल पीपल अधिकारी का पत्र रिक्त है
अतः पत्रा कर्ता उक्तका हाकर दिनांक 03/08/21
डो पैरा टी/१

03/08/21

एकपक्षी पेशा हाई जजु हाय परिकेन उपस्थित
पीपल पीपल अधिकारी का पत्र रिक्त है
अतः पत्रा कर्ता उक्तका हाकर दिनांक 12/11/2021
डो पैरा टी/१

12/11/21

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपरीत।
तामिल कजु उपस्थित। पीपल पीपल अधिकारी प्रश-
सन जॉबो के संग कमिशन - 2021 डेप्टो के
व्याप्य होने से मिशाल इलवा डीडर सिगापी
दिनांक - 06/04/2022 डो पैरा टी/१

अज अदालत उपस्थित

डकम डकम

06/04/2022

प्रार्थी
तामिल अनुपस्थित/
गई/ अंतिम आवाज
स्वयं या उनकी ओर

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाड़मेर) मुकाम बायतु

खि हुकम

हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज

न व तारीख अहकाम
जो इस हुकम की
तामिल में जारी हुए

06/04/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित/ न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई/ अंतिम आवाज 5.45 PM पर लगाई गई। विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ। लिहाजा विप्रार्थीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढ़ा सेढ़ा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है, जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफतर हो।

सहायक कलेक्टर
(SDO) बायतु

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद / 2022 / 331

दिनांक : 06/04/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. अचलाराम पुत्र ताजाराम वगैरा 25,
जाति मेघवाल, निवासी केरली नाडी,
पटवार मण्डल नौसर,
तहसील बायतु (बाडमेर)

1. जोगाराम पुत्र कंवराराम वगैरा 04,
जाति जाट, निवासी केरली नाडी,
पटवार मण्डल नौसर,
तहसील बायतु (बाडमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 259/2020

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - केरली नाडी, पटवार हल्का - नौसर, तहसील - बायतु, जिला- बाडमेर के खेत खसरा नं. 36, 37, 678/37 रकबा क्रमशः 0.0405, 9.6271, 1.8203 हेक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

क्रमांक : वाद / 2022 / 332 - 336

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का नौसर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री अचलाराम पुत्र ताजाराम वगैरा 25,
4. विप्रार्थी श्री जोगाराम पुत्र कंवराराम वगैरा 04,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिड़ा/नागाणा।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक : 06/04/2022

उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDD) बायतु